सत्यमेव जयते
Government of Rajasthan

तम्बाकू-मुक्त गाँव

पंचायती राज विभाग राजस्थान द्वारा चयनित प्राथमिक संकल्प स्वस्थ्य गांव के अन्तर्गत

मॉड्यूल

स्वस्थ गाँव

सशक्त पंचायत सतत विकास

Panchayati Raj

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

The Union
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor

Shikshit Rojgar Kendra Prabandhak Samiti
SRKPS

शिक्षित रोजगार केंद्र प्रबन्धक समिति, राजस्थान

शिक्षित रोजगार केंद्र प्रबंधक समिति (एसआरकेपीएस) राजस्थान में गत 36 वर्ष से सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत एक गैर-सरकारी संस्था है । संस्था का मूल उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामुदायिक मंचो के बीच व्यापक दूरियों को कम करना है । संस्था की कार्यनीति का यह मूल आधार है । संस्था इसके लिए सक्रिय रुप से कार्यरत है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रशासन की उच्चतम ईकाई तक पहुंच सके, गरीबजन अपनी गरीबी के मूल कारकों को पहचानकर गरीबी की सीमा से बाहर निकल सके, ग्रामीणजन और महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरुक तथा कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें तथा समाज का हर वर्ग विकास प्रक्रिया में साथ-साथ अग्रसर हो । तम्बाकू सेवन देश की सबसे तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है । हर साल भारत में तम्बाकू सेवन से होने वाले रोगों से 15 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है । यह देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है ।

तम्बाकू उपभोग को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 (कोटपा) लेकर आई जिसके प्रावधानों को लागू कर संस्था ने राजस्थान केन्सर फाउंडेशन के नेतृत्व में 2007 में झुंझुनूं को देश का प्रथम धूम्रपान-मुक्त शहर स्थानीय जिला प्रशासन की सहभागिता से घोषित करवाया । तम्बाकू नियंत्रण के प्रयासों को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) की शुरुआत की गई थी । इसके अंतर्गत कोटपा 2003 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के साथ ही तम्बाकू नियंत्रण हेतु अन्य गतिविधियों जैसे विद्यालयों में जागरुकता कार्यक्रम, आईईसी गतिविधियाँ, सभी हितधारकों का क्षमतावर्धन एवं तम्बाकू उपचार केंद्र के माध्यम से तम्बाकू सेवनकर्ताओं को परामर्श भी दिया जाता है । 2007 में (एनटीसीपी) राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान दो जिले झुंझुनूं और जयपुर को भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और सहयोग दिया गया। एक बार फिर एसआरकेपीएस ने जिला प्रशासन के सहयोग से झुंझुनूं को राजस्थान का प्रथम धूम्रपान-मुक्त जिला घोषित करवाया ।

संस्था का तम्बाकू नियंत्रण के परिपेक्ष में मुख्य उद्देश्य व्यापक तम्बाकू नियंत्रण को आगे बढ़ाने के नियंत्रण हेतु संस्थागत विकास, क्षमता निर्माण और एम पॉवर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के तम्बाकू की मांग को कम करने वाले उपायों (एम पॉवर) के तम्बाकू की माँग को कम करने वाले प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को तम्बाकू से बचा उनके व्यस्क होने पर तम्बाकू जनित रोगों से होने वाली पीड़ा और आर्थिक बोझ कम को कम करना है।
एसआरकेपीएस इस मॉड्यूल के माध्यम से गाँवों के निवासियों एवं तम्बाकू उपभोगकर्ताओं में तम्बाकू के दुष्प्रभाव के संदर्भ में जानकारी बढ़ा कर तम्बाकू उपभोग में कमी लाने का एक प्रयास आप सभी से सहयोग विनीत कर रही है ।

लेखन एवं संपादन

डॉ. राकेश गुप्ता
अध्यक्ष, राजस्थान केन्सर फाउंडेशन,
भूतपूर्व केन्सर शल्य चिकित्सक और तम्बाकू उपचार
विशेषज्ञ, संतोकबा दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल, जयपुर

राजन चौधरी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरकेपीएस

ज्योति चौधरी
सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, एसआरकेपीएस

विक्रम सिंह राघव
सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण एवं जन
स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सलाहकार पंचायती राज राजस्थान
सरकार, यूनिसेफ-अरावली

वरुण शर्मा
सामाजिक नीति विशेषज्ञ एवं कार्यक्रम निदेशक, अरावली

स्त्रोत एवं संदर्भ

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार और
भारत के वैश्विक व्यस्क तम्बाकू सर्वेक्षण 1 और 2

विषय-सूचि

प्रस्तावना	4
सतत् विकास लक्ष्यों से वैश्विक सुधार : लक्ष्य 2030	5
तम्बाकू नियंत्रण की आवश्यकता	7
तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभाव	7
तम्बाकू के आर्थिक प्रभाव	9
तम्बाकू के पर्यावरणीय प्रभाव	10
तम्बाकू-मुक्त समाज के वैश्विक प्रयास	10
तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी.पी.सी.)	10
तम्बाकू नियंत्रण के लिये प्रमुख कानून प्रावधान-कोटपा	11
तम्बाकू नियंत्रण में सहायक अन्य कानूनी प्रावधान	12
हमारा पंचायती राज और तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत	13
कैसे होगी तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत	15
तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत : ग्राम पंचायतों की भूमिका	15
तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत और पंचायती राज	16
तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत- प्रस्ताव लेने की प्रक्रिया	19

प्रस्तावना

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार वर्ष 2030 की कार्यसूची को लेकर अथक प्रयास कर रही है। इस हेतु सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा सम्पूर्ण सरकार एवं सम्पूर्ण समाज के सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण से ही आगे बढती है। सतत् विकास के सभी लक्ष्य परस्पर जुडे हुए हैं । अत: किसी भी लक्ष्य को अन्य लक्ष्यों की अनदेखी कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर सतत् विकास के स्थानीकरण को बेहतर स्वास्थ्य के बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक चुनौतियों में तम्बाकू एकमात्र रोकी जा सकने वाली समस्या है। तम्बाकू का सेवन लोगों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि इसका बुरा प्रभाव पूरे समाज के पोषण, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वच्छता, आदि, के मौलिक अधिकारों पर भी पड़ता है। तम्बाकू-मुक्त गाँव की योजना को स्थानीय स्तर पर विकसित करने के लिये कई सामुदायिक व सामाजिक समावेशों की आवश्यकता होती है। अत: तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत निर्माण के लिये स्थानीय स्तर पर विभिन्न समुदायों, संगठनों, विभागों एवं अन्य लाभार्थियों का मिलकर प्रयास करना आवश्यक होता है। देश में प्रतिदिन 5500 से अधिक नए युवा तम्बाकू उपभोक्ता जुड़ जाते हैं जिसका प्रमुख कारण तम्बाकू की आसान उपलब्धता एवं आकर्षक विज्ञापन है। इसलिये ग्राम स्तर पर पहला प्रयास इसकी उपलब्धता और इसके अपरोक्ष विज्ञापनों को हतोत्साहित करना होगा । ग्राम पंचायत स्तर पर तम्बाकू-मुक्त गाँव का संकल्प कर पंचायत स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जाना सार्थक होगा। तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत के लक्ष्य को पंचायत स्तर पर कोटपा कानून (सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) की पालना कर और ग्राम पंचायत के स्थानीय संकल्प द्वारा सहजता से प्राप्त करना आसान होगी। इन्हीं प्रयासों को सुलभ व सार्थक बनाने के लिये यह पुस्तिका (मॉड्यूल) तैयार की गई है जिसे पंचायती राज संस्थाओं एवं उनके साथ जुडे विभिन्न विभागों, समुदायों, समाजों, संस्थाओं व कार्यकर्ताओं द्वारा काम में लिया जाना उपयोगी होगा ।

राज्य की सभी पंचायतें तम्बाकू-मुक्त हो सकें, इन्हीं शुभकामानाओं के साथ यह पुस्तिका पाठ्य (मॉड्यूल), सूचना व संदर्भ-सामग्री के रूप में आमजन के लिये प्रस्तुत है।

सतत् विकास लक्ष्यों से वैश्विक सुधार : लक्ष्य 2030

मिलेनियम डेवलपमेन्ट गोल्स (सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य-एमडीजीस्) में वर्ष 2015 के लिए आठ विकास लक्ष्य थे जो कि संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा, 2000 में स्थापित किए गए थे:

1. अत्यधिक गरीबी और भूख मिटाने के लिए
2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए
3. लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिये
4. बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए
5. मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए
6. एचआईवी-एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों की प्रतिस्पर्धा करने के लिए
7. वातावरणीय स्थिरीकरण करने के लिए
8. विकास के लिए एक वैश्विक साझेदारी विकसित करने के लिए

वर्ष 2015 में एमडीजीस् की समाप्ति पर इनके स्थान पर सतत विकास लक्ष्यों (सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट गोल्स-एसजीडीस्) को प्राप्त करने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया। 25 से 27 सितंबर 2015 को न्यूयार्क में आयोजित बैठक में 193 देशों की उपस्थिति में वर्ष 2016 से वर्ष 2030 के लिए 17 विकास लक्ष्य तय किए गए। ये लक्ष्य सार्वभौमिक हैं और कोई भी पीछे न छूटे इस उद्देश्य के साथ बनाये गए हैं। यह अमीर-गरीब, शहरों-गाँवों, युवा-बुजुर्ग, पुरुष-महिला सभी पर समान रूप से लागू होते हैं।

सतत् विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संकलन है, जिन्हें समूचे विश्व की राष्ट्रीय सरकारों, नागरिक संगठनों और हितधारकों के साथ गहन सार्वजनिक विचार-विमर्श के बाद विकसित किया गया है। सतत् विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा सहमति प्राप्त सबसे महत्वाकांक्षी विकास का एजेण्डा है। यह हमें अपने विश्व को सामुहिक रुप से बेहतर बनाने का एक अवसर देता है। इस एजेण्डे की व्यापकता ही इसकी शक्ति है। इन 17 लक्ष्यों का निर्माण, इनकी सफलताओं के साथ जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, सतत् उपभोग, शांति एवं न्याय जैसी अन्य प्राथमिकताओं को सम्मिलित कर किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक अर्जित किया जाये इसके लिए, सतत विकास लक्ष्य, वैश्विक भागीदारी में सभी देशों को तुरन्त कार्यवाही करने के लिये एक आह्वान है। इन 17 सतत् विकास लक्ष्यों को 169 उप लक्ष्यों और 240 संकेतको में बाँटा गया, जो कि प्रकृति में परस्पर जुड़े हुए हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नही किया जा सकता है। प्रत्येक लक्ष्य के उपलक्ष्यों को विशिष्ट संकेतकों से जोड़ा गया है ताकि इनके परिणामों एवं प्रगति को मापा जा सके ।

इस समूचे अभियान का उद्देश्य समग्र विकास हेतु गरीबी को उसके सभी आयामों में एवं सभी जगहों से समाप्त करना है ताकि कोई भी देश, प्रदेश या व्यक्ति पीछे ना छूट जाये। इसके साथ ही यह आमजन एवं भू-मण्डल की शांति और समद्धि हेतु सामुहिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास है। सतत् विकास लक्ष्यों में सार्वभौमिक और अद्वितीय दृष्टिकोण को केन्द्र में रखा गया है, जिसमें मानव कल्याण के सभी आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलू सम्मिलित हैं।

सतत् विकास के 3 स्तंभ

- **सामाजिक न्याय:**– जाति, धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, समाज समावेशी हो और संसाधनों तक सभी की पहुँच हो ।
- **आर्थिक न्याय:**– हर व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताये सतत रूप से पूरी कर सकने में सक्षम हो और आर्थिक मूल्यों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो ।
- **पर्यावरणीय न्याय:**– प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच एवं उनके स्थायी उपयोग में समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो। उदाहरणार्थ, स्वस्थ भोजन, शुद्ध हवा एवं पानी एवं सुरक्षित आवास तक सभी की पहुँच हो ।

संकल्प–1 : गरीबी मुक्त एवं आजीविका युक्त पंचायत

संकल्प–2 : स्वस्थ्य पंचायत

संकल्प–3 : बाल हितैषी पंचायत

संकल्प–4 : पर्याप्त जल संसाधन युक्त पंचायत

संकल्प–5 : स्वच्छ एवं हरित पंचायत

संकल्प–6 : ढांचागत आत्मनिर्भर पंचायत

संकल्प–7 : सामाजिक सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण पंचायत

संकल्प–8 : सुशासन युक्त पंचायत

संकल्प–9 : महिला हितैषी पंचायत

सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के पंचायत स्तरीय 9 संकल्प

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार 2030 कार्यसूची को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस हेतु सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा, सम्पूर्ण सरकार एवं सम्पूर्ण समाज के सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण से ही आगे बढती है। सतत् विकास लक्ष्यों को बेहतर स्वास्थ्य के बिना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तम्बाकू का सेवन लोगों के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि पूरे समाज के पोषण, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वच्छता, आदि, के मौलिक अधिकारों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तम्बाकू-मुक्त गांव की योजना स्थानीय स्तर पर विकसित करने के लिये कई सामुदायिक व सामाजिक समावेशों की आवश्यकता है।

सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण के लिये पंचायती राज विभाग द्वारा अपनाये गये 9 संकल्पों में संकल्प संख्या 2 है, स्वस्थ गाँव की परिकल्पना के साथ ''बेहतर स्वास्थ्य''। इसके लिये आवश्यक आयामों पर ध्यान आकर्षित करना अति आवश्यक है। इनमें से स्वास्थ्य और जीवन को दुष्प्रभावित करने वाला सबसे बडा व्याप्त कारक है ''तम्बाकू''। तम्बाकू विश्व भर में होने वाले घातक रोगों और असमय मृत्यु का एकमात्र मानवजनित कारक है जिसे पूरी तरह रोका और अंतत: मिटाया जा सकता है।

तम्बाकू नियन्त्रण की आवश्यकता

तम्बाकू सेवन देश की सबसे तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या है। हर साल भारत में तम्बाकू सेवन से होने वाले रोगों से 13 लाख से अधिक मौतें हो रही हैं। यह देश की उत्पादकता और अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी एक चुनौती है। लेकिन, संतोष की बात है कि तम्बाकू से होने वाले रोगों और मृत्युओं को पूर्णतया तम्बाकू-मुक्त्त हो बहुत आसानी से रोका जा सकता है। वर्तमान में तम्बाकू का सेवन पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसका कारोबार और उपयोग विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तम्बाकू उद्योग तरह-तरह के हथकंडे अपना कर, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को अपने उत्पादों के प्रति आकर्षित करता है। अत: बच्चों एवं युवाओं को इनसे बचाना अति आवश्यक है। तम्बाकू नियंत्रण के प्रयासों को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम(एनटीसीपी)की शुरूआत की गई थी।

विश्व स्वास्थ संगठन और भारत सरकार द्वारा संपन्न वैश्विक व्यस्क तम्बाकू सर्वेक्षण के दूसरे चक्र(गेट्स 2, 2016-2017)के अनुसार भारत में लगभग 27 करोड़ तम्बाकू उपभोगकर्ता हैं, उनमें से लगभग 17 करोड़ मूलत: चबाने वाली तम्बाकू खाते हैं। लगभग 10 करोड़ धूम्रपान करने वालों में 3.2 करोड़ वे व्यस्क भी है जो कि धूम्रपान के साथ चबाने वाली तम्बाकू का भी सेवन करते हैं। हर वर्ष 15 लाख से अधिक लोग तम्बाकू के उपभोग और लगभग एक लाख से अधिक लोग दूसरों के धूम्रपान से उत्पन्न धुएँ(निष्क्रिय धूम्रपान/ सैकेंड हैड स्मोक) को सूंघने से उत्पन्न रोगों से मर जाते है।

क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। यह 1.2 करोड़ तम्बाकू उपभोगियों का घर भी है। इनमें से अधिकांश तम्बाकू उपभोगकर्ता या तो बीड़ी पीते हैं या फिर तम्बाकू चबाते हैं। इस दोनों प्रकार के उपयोगियों संख्या समान ही है लगभग 60 लाख। इन्हीं में से लगभग 12 लाख धूम्रपान करने के साथ तंबाकू भी चबाते हैं। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 200 मृत्यु प्रतिदिन तथा 80,000 मृत्यु प्रतिवर्ष तम्बाकू सेवन के कारण होती हैं।

पूरे संसार में तम्बाकू उपभोग अधिकांशत: सिगरेट के रूप में किया जाता है। भारत में इसका उपभोग में बीड़ी, हुक्का, गुल, गुड़ाकु, जर्दा, किमाम, खैनी, गुटखा आदि के रूप में किया जाता है। तम्बाकू का सेवन किसी भी रूप में किया जाए, यह शरीर के हानिकार ही है।

तम्बाकू के दुष्प्रभाव

स्वास्थ्य पर प्रभाव

आर्थिक प्रभाव

पर्यावरण पर प्रभाव

तम्बाकू सेवन के शारीरीक दुष्प्रभाव

तम्बाकू सेवन से सिर से पाँव तक अनेक गंभीर व जानलेवा रोग उत्पन्न होते हैं। तम्बाकू शरीर के लगभग सभी अंगो को हानि पहुँचाता है जिससे अनेक घातक रोग होते हैं। क्योंकि तम्बाकू एक छोटी मात्रा में भी हानिकारक है, हर किसी के लिये तम्बाकू-मुक्त बने रहना सर्वाधिक उपयोगी होता है।

तम्बाकू से केन्सर

तम्बाकू उपभोग केन्सरों से पीड़ित होने का एक प्रमुख कारण है । सभी केन्सरों में से लगभग 27 प्रतिशत केन्सर तम्बाकू जनित होते है। तम्बाकू में उपस्थित अनेक जहरीले रसायन व इसके सेवन से मानव कोशिकाओं में उत्पन्न जेनेटिक दोष शरीर के 14 अंगों में केन्सर उत्पन्न कर सकते हैं ।इन में मुँह-गले, फेंफड़े व खाने की नली के केन्सर अधिकता से पाये जाते हैं।इनके अतिरिक्त तम्बाकू सेवन से आमाश्य, बड़ी आँत, अग्न्याशय, गर्भाश्य के मुँह, गुर्दे व मूत्राशय, इत्यादि, अंगों में भी केन्सर हो सकता है । कई केन्सर रोगियों में तो उनके पूरे जीवनकाल में एक से अधिक तम्बाकू जनित केन्सर भी उत्पन्न हो सकते हैं।

तम्बाकू से हृदय संबंधी रोग

तम्बाकू सेवन से शरीर की नसों में रक्त अथवा वसा के थक्के जम जाते हैं जिससे रक्त संचार में बाधा उत्पन्न होने से हृदयघात यानी हार्ट अटेक हो सकता है। क्योंकि हृदय का काम शरीर में रक्त संचार को सुचारू करने का होता है, इस कारण कहीं भी रक्त संचार रुकने पर हृदय को उस हिस्से में रक्त पहुँचाने के लिये अधिक जोर लगाना पड़ता है जिससे उच्च रक्त चाप होने की संभावना बढ़ जाती है।इससे मस्तिष्क में रक्त नलिकाओं को फटने से लकवा हो सकता हैं।इसके साथ ही बीडी-सिगरेट से निकलने वाला कार्बन मोनोआक्साईड भी फेंफड़े के माध्यम से हमारे रक्त में मिल जाता है जिससे रक्त में आक्सीजन की कमी हो जाती है ।

तम्बाकू से साँस के रोग

मनुष्य के समूचे श्वसन तंत्र का प्रमुख भाग छाती में स्थित दो फेंफड़े होते है। धूम्रपान हमारे फेंफड़ों पर बहुत ही बुरा असर डालता है। किसी भी धूम्रपायी द्वारा छोड़े गये धुएँ को लगातार सूंघते रहने वालों में वे सभी रोग हो सकते हैं जो कि एक धूम्रपान करने वाले को प्रायः होते हैं। लम्बे समय तक धूम्रपान करते रहने से फेंफड़ों का केन्सर, दमा, ब्रोकाईटिस्, टी.बी. जैसे घातक रोग हो सकते हैं।

तम्बाकू से अन्य कई स्वास्थ्य समस्यायें भी होती है :

- तम्बाकू का सेवन पुरुष व महिला दोनों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है।पुरुषों में तम्बाकू के सेवन से शुक्राणुओं की सँख्या में कमी और नपुंसकता भी हो सकती है, जबकि स्त्रियों में तम्बाकू के सेवन से बाँझपन हो सकता है।गर्भावस्था में गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है तथा भ्रूण का विकास रुक सकता है।
- तम्बाकू सेवन से दांत पीले, मैले और कमजोर हो जाते हैं। दांत और मसूडे सड़ने लगते हैं। कुछ व्यक्तियों में मुँह के केन्सर की पूर्वावस्था को सफेद चकत्ते में उत्पन्न छालों के रुप में देखा जा सकता है ।
- तम्बाकू का ज्यादा नशा करने से स्वाद तथा सूंघने की शक्ति में कमी आ जाती है ।
- तम्बाकू के सेवन से मुंह से दुर्गन्ध आती है ।साथ ही हमारी लार उत्पन्न करने वाली ग्रन्थियां कमजोर होती हैं जिससे पाचन क्रिया भी कमजोर होने लगती है।
- तम्बाकू के सेवन से छाती में दर्द, जकड़न, आंखों से कम दिखाई देना, सिर में दर्द, आदि जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं।
- तम्बाकू के सेवन से त्वचा ढीली पड़ने लगती है और व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा लगने लगता है।

तम्बाकू के आर्थिक प्रभाव

- भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का लगभग 1 प्रतिशत तम्बाकू के उपभोग से होने वाले रोगों को प्रबन्धित करने और अकाल मृत्युओं के कारण खो देता है।
- तम्बाकू उत्पादों से उत्पाद शुल्क के रूप में प्राप्त प्रत्येक 100 रुपये पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 816 रुपये की हानि होती है।
- 2017 और 2018 के बीच 35 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सभी तम्बाकूजनित रोगों और अकाल मृत्युओं के कारण आर्थिक खर्च लगभग 27.5 बिलियन अमरीकी डालर (1,77, 340 करोड़ रुपये) था ।
- अस्पताल में भर्ती होने और अस्पताल के दौरे के कारण परिवारों की आय का नुकसान 957 मिलियन अमेरिकी डॉलर (6181 करोड़ रुपये) था, जबकि समय से पहले मृत्युओं की लागत 20.5 अरब अमेरिकी डॉलर (1,32,452 करोड़ रुपये) आंकी गई थी ।
- 2016-2017 में तंबाकू कर से प्राप्त राजस्व इसकी पूरी आर्थिक लागत का मात्र 12 प्रतिशत ही था। 2017-18 में अकेले तम्बाकू के कारण होने वाला प्रत्यक्ष चिकित्सा व्यय, स्वास्थ्य पर कुल निजी और सार्वजनिक व्यय (6,98,430 करोड़ रुपये) का लगभग 5 प्रतिशत था ।इससे पता चलता है कि केवल महंगाई दर से ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक आर्थिक बोझ तम्बाकू से रोगों को प्रतिबंधित करने में खर्च के कारण साल दर साल बढ़ रहा है। खर्च से भारत में सालाना लगभग 1.5 करोड़ लोगों को गरीब बना देता है।

तम्बाकू के पर्यावरणीय प्रभाव

- राजस्थान में सभी तम्बाकू उत्पादों द्वारा होने वाला वार्षिक कचरा सिगरेट - 1577.22 टन, बीड़ी - 1124.91 टन, चबाने वाला तम्बाकू - 4197.85 टन और कुल कचरा - 6899.97 टन है (एम्स जोधपुर द्वारा 2022 में किया गया एक अध्ययन)।
- राज्य में तम्बाकू उत्पाद के उपभोग से कुल सालाना 3008 टन प्लास्टिक, 2390 टन कागज, 234 टन एल्युमिनियम और 53 टन फिल्टर का कचरा होता है।
- विश्व स्तर पर तम्बाकू से प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाले कचरे का अनुमानित वजन लगभग 25 मिलियन मीट्रिक टन (25 हजार लाख किलो) है।
- गुटखा, पान मसाला, इत्यादि, जैसे उत्पादों को प्लास्टिक पैक में बेचा जाता है।प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है।
- एक सिगरेट के पूरे जीवन चक्र में लगभग 3.7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, इसमें खेती, निर्माण, वितरण, उपयोग और निपटान शामिल है।
- यदि धूम्रपान छोड़ दिया जाए तो औसत धूम्रपान करने वाला प्रतिदिन 74 लीटर पानी बचा सकता है।
- अधिकांश ई-सिगरेट के प्लास्टिक पुर्जे क्योंकि वापस काम में नही लाये जा सकते हैं अत: ये भी वातावरण को प्रदूषित करते हैं।
- तम्बाकू की खेती के हानिकारक प्रभावों से महिलायें बाँझपन और प्रजनन संबंधी समस्याओं से असमान रूप से प्रभावित होती हैं।

तम्बाकू मुक्त समाज के वैश्विक प्रयास

फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबेको कंट्रोल (एफ.सी.टी.सी.), विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान में आपसी सहमति से की गई पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है । इसे 21 मई 2003 को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया और 27 फरवरी 2005 को लागू किया गया । तब से यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे तेज से और व्यापक रूप से स्वीकृत संधियों में से एक बन गई है ।

एफ.सी.टी.सी. को तम्बाकू महामारी की वैश्विक चिंता के परिणाम स्वरुप विकसित किया गया था और यह एक साक्ष्य-आधारित संधि है जो सभी लोगों के स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर के अधिकार की पुष्टि करती है । यह संधि सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मील का पत्थर है और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग के लिए एक विशिष्ट आयाम प्रदान करती है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तम्बाकू नियंत्रण को अधिक मजबूती देने के लिए और एफ.सी.टी.सी. के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सभी सदस्य-राष्ट्रों में तम्बाकू की माँग घटाने के लिए एक संयुक्त पैकिज ''एम पावर (MPOWER)'' को वर्ष 2008 में स्थापित किया । भारत और राजस्थान की सरकारें ने इसके अन्तर्गत कार्यशील हो अब तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है ।

M-मॉनीटर	तम्बाकू उपभोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी
P- प्रोटेक्ट	लोगों को तम्बाकू के धुएँ से बचाया जाए
O- ऑफर	तम्बाकू छुड़वाने में मदद करें
W- वार्न	तम्बाकू के बारे में लोगों को चेतावनी देना
E- एनफोर्स	तम्बाकू निषेध कानून की कड़ी पालना
R- रेज टेक्सेस	तम्बाकू उत्पादों पर कर बढाया जाए

राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम
नेशनल टोबेको कंट्रोल प्रोग्राम (एन.टी.सी.पी.)

भारत सरकार ने मई 2003 को राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) पारित किया । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने, तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ डब्ल्यू.एच.ओ. (एफ.सी.टी.सी.) के दायित्वों को पूरा करने के लिए देश के 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में वर्ष 2007-2008 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया । वर्तमान में इसे समूचे देश में लागू किया जा चुका है ।

उद्देश्य :

- तम्बाकू नियंत्रण कानून और तम्बाकू के उपयोग द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में अधिक से अधिक जागरुकता बढ़ाना ।
- तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुविधाजनक व सहज बनाना ।
- तम्बाकू के सेवन को प्रभावी रूप से नियंत्रित करना तथा इसकी वजह से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना ।

तम्बाकू नियंत्रण के लिए प्रमुख कानूनी प्रावधान-कोटपा

धारा	उद्देश्य / तर्क	उल्लंघन	दण्ड एवं कारावास
धारा 4	इस धारा को बनाऐ जाने के पीछे तर्क यह था कि निष्क्रिय धूम्रपान (पैसिव / सैंकड हैंड स्मोकिंग) को कैसे रोका जाये ।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल या सार्वजनिक वाहन में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है ।	₹ 200 तक का दण्ड
धारा 5	इस धारा को बनाए जाने के पीछे तर्क यह था कि तम्बाकू उत्पादों के प्रति लोगों, मुख्यत: बच्चों एवं युवाओं में आकर्षण को कम किया जा सके ।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष या / और अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रोत्साहन एवं तम्बाकू कम्पनियों द्वारा किसी इवेन्ट का प्रायोजन अथवा स्पॉन्सरशिप करना प्रतिबंधित है ।	प्रथम उल्लंघन पर ₹1000 तक का दण्ड अथवा 02 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों द्वितीय बार अथवा अगली बार उल्लंघन करने पर ₹5000 तक दण्ड अथवा 05 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों ।
धारा 6 (अ)	इस धारा को बनाए जाने के पीछे तर्क यह था कि अवयस्कों को तम्बाकू सेवन और इसके नशे से बचाया जा सके ताकि आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्परिणामों से बचाया जा सके ।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 6 (अ) के अनुसार किसी भी अवयस्क या बच्चों को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा इसे बिकवाना प्रतिबंधित है ।	₹200 तक का दण्ड
धारा 6 (ब)		तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 6 (ब) के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना एक दण्डनीय अपराध है ।	₹200 तक का दण्ड
धारा 7	इस धारा को बनाए जाने के पीछे तर्क यह था कि अशिक्षित वर्ग (अनपढ़) के सहित हर कोई तम्बाकू के दुष्परिणामों को चित्रों को माध्यम से देख एवं समझ इसके दुष्प्रभावों के प्रति सचेत हो सकें ।	तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार रिटेल (खुदरा) तम्बाकू उत्पादों पैकेट के दोनों भागों के 85 प्रतिशत हिस्से अथवा मुख्य भाग पर चित्रित स्वास्थ्य चेतावनी के बिना नहीं बेचा जा सकता है ।	निर्माता अथवा उत्पादनकर्ता पर प्रथम बार उल्लंघन करने पर ₹5000 तक का दण्ड और/ अथवा 2 वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों । तत्पश्चात् ₹10, 000 दण्ड और / अथवा 5 वर्षों का कारावास या दोनों ।

तम्बाकू नियंत्रण में सहायक अन्य कानूनी प्रावधान

राज्य में तम्बाकू नियन्त्रण अधिनियम (कोटपा) 2003 की विभिन्न/धाराओं के प्रभावकारी अनुपालन हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी.सी.पी.) के अन्तर्गत कार्यक्रम की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (STCC) का गठन किया गया है। साथ ही, सभी जिलों में कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (DTCC) गठित है जिसमें सचिव स्थानीय सीएमएचओ होते हैं ।

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (धारा 77)

किशोर न्याय अधिनियम 2015 कि धारा 77 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम के अवयस्क को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 1 साल की कैद एवं 1 लाख रुपये दण्ड का प्रावधान है इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 107 (1) के तहत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नामित किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

जहरीला धुआँ हमारे पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुँचता है । इससे धूम्रपान करने वालों के अतिरिक्त अन्य सभी जो इसे सूंघते है, उन्हें भी इससे पीड़ित होना पड़ता है । अधिनियम में यह भी उल्लेखित है कि पर्यावरण के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून 2006, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2011

इस कानून के बिन्दु 2,3 व 4 में कहा गया है कि खाद्य उत्पादों में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं होना चाहिये जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है । इसके अनुसार तम्बाकू या निकोटिन भी किसी भी खाद्य पदार्थ का हिस्सा नहीं बनने चाहिये। किसी भी खाद्य उत्पाद में तम्बाकू या निकोटिन को मिलाया नहीं जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 1/10 दिनांक 23/9/16 के अनुसार पान मसाला व तम्बाकू के अलग अलग पैकेटों को एक साथ स्टेपल कर (जोड़ कर) अथवा तम्बाकू और पान मसाला एक साथ नहीं बेचे जा सकते हैं। इस हेतु खाद्य सुरक्षा की धारा 41 व 42 के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 एवं 273 के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है। राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन के उपनिरीक्षक एवं इनसे उपर के अधिकारी दण्डित कर सकते हैं।

ड्रग एण्ड कोस्मेटिक ऐक्ट 1940

इस कानून के अंतर्गत 1992 में सभी दाँतों (डेंटल) के उत्पादों में तम्बाकू का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है ।

केबल टेलिविजन नेटवर्क एक्ट 2000

इसके अंतर्गत केबल टेलिविज़न, राज्य के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रतिबंधित है।

भारतीय दंड सहिता (IPC) की धारा 268 ए, 269 ए, 278

उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत भी तम्बाकू सेवन को नियंत्रित किया जा सकता है ।

इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेद्य अधिनियम

इसके अन्तग ई-सिगरेट और /या समकक्ष सभी पदार्थों को प्रतिबंधित किया गया है ।

हमारा पंचायती राज और तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत

संविधान का 73वां संशोधन, भारत के राजपत्र में वर्ष 1992 में प्रकाशन के उपरान्त 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। तब ही से देशभर में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है । इस संशोधन के परिणामस्वरुप पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था को सरकार की शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के रुप संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। ग्रामीण विकास में सक्रिय जन भागीदारी व स्थानीय समस्याओं का वहाँ के समुदायों द्वारा स्थानीय स्तर पर ही समाधान के उददेश्य से पंचायतों को स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था के रुप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

संविधान में भाग-IX के रूप में पंचायत संबंधी अध्याय जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद-243 (डी) में 'पंचायत' को परिभाषित करते हुए, उसे ग्रामीण अंचल की स्व-शासन की संस्था के रूप में माना गया है, चाहे देश के विभिन्न प्रान्तों में उन्हें किसी भी नाम से संबोधित किया जाए। इसी संशोधन की धारा-243 (जी) में पंचायतों की शक्तियों, अधिकार एवं दायित्वों को रेखांकित किया गया है। संविधान की धाराओं के अनुसरण में, राज्य की विधायिका द्वारा कानूनन पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ व अधिकार सौंपें जा सकेंगे जो कि उन्हें स्व-शासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनावें। सार-संक्षेप में, पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य भूमिका निम्न दो पहलुओं से जुड़ी है:

(1) आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना तैयार करना (ग्राम पंचायत विकास प्लान- जी.पी.डी.पी.) बनाना; और,

(2) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय संबंधी ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन करना जो कि उन्हें सौंपी गई हों व जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषय भी सम्मिलित किये जा सकेंगे।

पंचायत स्थानीय शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर सरकार है जो ग्रामीणों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं। पंचायती राज व्यवस्था सामूहिक निर्णय की अवधारणा पर आधारित है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय ग्रामीण समाज में पंचायतों के प्रति ग्रामीण समुदाय की गहरी आस्था रही है। पंचों की सामूहिक राय से गांव के विकास हेतु निष्पक्ष निर्णय लिये जाने की परम्परा रही है। अनादिकाल से गांवों के छोटे-मोटे विवादों का न्यायपूर्ण निपटारा भी पंचायतों द्वारा ही होता आया है- इसीलिए पंचों को 'पंच-परमेश्वर' के रूप में सम्मान से देखा जाता है। पंचायत की व्यवस्था का प्रभावी रूप से संचालन, पंचायतों के चुने हुए पंचों का ही सामूहिक उत्तरदायित्व है। पंचों की जनहित में दी गई राय से ही पंचायत सुचारू रूप से अपने दायित्व पूरे कर सकती है।

वैधानिक व्यवस्था में यह 'पंचायती राज' है, 'सरपंच राज' नहीं ! इसलिए सरपंच पंचायत के सामूहिक निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही कर सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पंचायती राज की सशक्त व्यवस्था हेतु जब तक जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि (पंच व सरपंच) - व्यक्तिगत रूप से सक्रियता के अतिरिक्त सामूहिक नहीं होते हैं, तब तक इस व्यवस्था की जड़ें मज़बूत नहीं हो सकेगी।

एक स्वस्थ गाँव का संकल्प लिये बिना तम्बाकू मुक्ति संभव नही है। क्या हम किसी भी गाँव के स्वस्थ होने की कल्पना कर सकते है जिसमें :

1. अधिकतर लोग तम्बाकू सेवन करते हों ?
2. महिलाओं और बच्चों को घरों और सार्वजनिक स्थानों पर अप्रत्यक्ष धूम्रपान का सामना करना पड़ रहा हो ?
3. गाँव में यहाँ वहाँ तम्बाकू उत्पादों के अल्पव्यस्कों (बच्चों) को प्रभावित करते हों ?
4. गाँव की दुकानों पर तम्बाकू उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहे हों ?
5. गांव में अधिकतर बैठक व सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू उत्पादों का कचरा और पीक दिखाई पड़ते हों ?
6. गर्भवती महिलाएँ, माताएँ तम्बाकू के सेवन या अप्रत्यक्ष धूम्रपान से पीड़ित होती हैं ?

इन सभी अवस्थाओं में उत्तर स्पष्ट है -नहीं ।

नहीं ना !

तो आईये अपने गाँव को तम्बाकू के जानलेवा अभिशाप से मुक्त करें .....

कैसे होगी ग्राम पंचायत तम्बाकू-मुक्त ?

तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिये हम सबसे पहले तो पंचायत के समस्त अधिकारियों सहित सभी ग्रामवासियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें किसी भी हाल में अपनी पंचायत की समस्त आबादी को स्वस्थ रखना है और अपनी पंचायत की महिलाओं, युवाओं व बच्चों को तम्बाकू के सम्पर्क से सदा के लिए दूर रखने के लिए वर्तमान में तम्बाकू सेवन कर रहे लोगों से इसे यथाशीघ्र छुड़वाना है । इसके बाद ग्राम पंचायत के अधीन सभी गाँवों में हम निम्न तीन चरण अपनाएंगे :

1. तम्बाकू नियत्रण कानून (कोटपा) की 100% पालना व तम्बाकू की लाईसेन्स धारियों से नियंत्रित बिक्री
2. तम्बाकू बिक्री और उत्पादन पूर्णतः रोक ।
3. सभी घरों को तम्बाकू-मुक्त घोषित कर उनमें भविष्य में सदैव के लिए तम्बाकू सेवन पर सदा के लिए रोक सुनिश्चित करना ।

तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत : ग्राम पंचायतों की भूमिका

- पंचायतें सुशासन को बढ़ावा देती है क्योंकि उनकी पहुँच जमीनी स्तर पर होती है जो कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है ।
- देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 'स्वास्थ्य' एक निर्णायक कारक है । इसीलिए आम जनता के बीच अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है ।
- तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत युवाओं और आम जनता को तम्बाकू की लत और निष्क्रिय धुम्रपान से बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है ।
- ये तम्बाकू-मुक्त पंचायतें उपभोग और निष्क्रिय धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में समाज को ग्राम सभा, नवयुवक मंडल/क्लब, मेला, धार्मिक समूह या भजन मंडलियों में जागरूक कर सकती हैं ।
- पंचायत लोगों को जागरूकता हेतु सूचना सामग्री भी वितरित कर सकती है ताकि वे तम्बाकू के हानिकारक दुष्प्रभावों के बारे में जान कर जागरूक हो वर्तमान में तम्बाकू सेवियों को इसे शीघ्रतिशीघ्र छुड़वाने सहायक बन सके ।
- तम्बाकू-मुक्त गाँवों, तम्बाकू-मुक्त पीढ़ी और घरों को बढ़ावा देना (जहाँ तम्बाकू उत्पादों का सेवन पूरी तरह से रूक सके) । जो लोग इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार, प्रमाण पत्र, इत्यादि, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (31 मई), गांधी जयन्ती (2 अक्टूबर) या अन्य महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य संबंधित दिवसों पर देकर सम्मानित करें ।
- यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायत के अधीन सभी विद्यालय, महाविद्यालय , चिकित्सालय, कार्य स्थल, इत्यादि, दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं ।
- तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत बनाने में ग्राम विकास समिति, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, आदि, अन्य सभी संबंधित संस्थाओं को भी शामिल करें ।

- ग्राम पंचायत में तम्बाकू बेचने के लिए एक मजबूत लाइसेन्स प्रणाली स्थापित करें ताकि केवल लाइसेन्स धारी तम्बाकू विक्रेता / दुकानें ही तम्बाकू उत्पाद बेच सके।
- पंचायत यह सुनिश्चित कर लें कि अगले कितने वर्षों (3 से 5 वर्षों) में गाँव में भविष्य में तम्बाकू संबंधित कोई भी उत्पाद कभी भी नहीं बेचे जायेंगे। फिर उसकी मजबूत पालना की योजना बनाकर कार्य आरम्भर करें।
- ग्राम स्तर पर होने वाली सामाजिक गतिविधियां, जैसे शादियाँ, मेले, जागरण, सत्संग, आदि, में लोगों को तम्बाकू ना सेवन करने के लिए प्रेरित और सचेत करें।

तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत और पंचायती राज

जिला स्तर पर जिला तम्बाकू नियन्त्रण समितियाँ बनी हुई हैं जो हर दो माह में जिले में तम्बाकू नियन्त्रण के प्रयासों की समीक्षा करती हैं तथा अन्य संभावनाओं पर विचार रखती हैं। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर भी तम्बाकू नियन्त्रण समितियों का निर्माण किया जाना है। इसकी पैरवी राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम की विस्तृत मार्गदर्शिका में भी की गई है। इस ब्लॉक स्तरीय समिति की अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान करेंगे एवं ब्लॉक के सभी सरपंच इस समिति के सदस्य होंगे। ब्लॉक तंबाकू नियन्त्रण समिति के पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

ब्लॉक प्रधान	अध्यक्ष
सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य	सदस्य
ब्लॉक स्तारीय विभाग शिक्षा,स्वास्थय, सहकारी, पशुपालन, पेयजल, आदि	सदस्य
स्थानीय सक्रिय एनजीओ/ सीबीओ	सदस्य
स्थानीय सांसद/ विधायक	विशेष आमंत्रित
ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	संयोजक और समन्वयक

ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य

- वर्ष में कम से कम दो बार साधारण सभा की बैठक के दौरान ब्लॉक विकास समिति की बैठक में तम्बाकू नियंत्रण पर चर्चा करना ।
- विषय को विशेष कार्यसूची के रुप में शामिल करते हुए आयोजित करना।
- पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को तम्बाकू नियन्त्रण पर संवेदनशील बनाते हुए प्रशिक्षित करना ।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मार्गदर्शिका के अनुरुप प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना ।
- ब्लॉक में विद्यालयों और, सार्वजनिक स्थानों व कार्य स्थलों की तम्बाकू-मुक्ति लिये कार्य करना ।

ग्राम पंचायत स्तरीय तम्बाकू नियन्त्रण समिति

ब्लॉक स्तर पर किये गये निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायतों के स्तर पर तम्बाकू नियन्त्रण समितियों का निर्माण किया जाना है । इसकी भी अनुशंसा राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम की विस्तृत मार्गदर्शिका में की गई है। इस समिति की अध्यक्षता सरपंच करेंगे एवं पंचायत के सभी वार्ड पंच इस समिति के सदस्य होंगे। पंचायत स्तरीय तंबाकू नियन्त्रण समिति के पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत के लिए ग्राम स्तरीय गतिविधियाँ

- तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत के लिये कार्य योजना बनाना ।
- ग्राम स्तरीय विभिन्न संगठनों, मंचों, समितियों, समुदायों, कार्मिकों, विभागों व अन्य लाभार्थियों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरुक करना तथा तम्बाकू-मुक्त घर व समाज बनाने के लिये प्रेरित करना ।

सरपंच	अध्यक्ष
राजकीय विद्यालय प्रतिनिधि	सदस्य
ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
एएनएम व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य
2-3 वार्ड पंच	सदस्य
आशा कार्यकर्ता	कन्वीनर समन्वयक

• तम्बाकू-मुक्ति के प्रचार प्रसार को, विभिन्न स्वास्थ्य दिवसों को आयोजनों जैसे विश्व तम्बाकू निषेध दिवस, 31 मई तथा अन्य महत्वपूर्ण दिवसों जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर इत्यादि, में सम्मिलित करना।

• जन स्वास्थ्य से जुड़े विशिष्ट दिवसों पर गांव में तम्बाकू निषेध का व्यापक प्रचार प्रसार व अन्य गतिविधियाँ जैसे बच्चों की रैली, ग्राम सभा, पोस्टर प्रतियोगिता, वाद विवाद, निबन्ध व चर्चाएँ आयोजित करना।

• तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत के संकल्प को पूरा करने के लिये विशेष ग्राम सभायें आयोजित करना जिसमें सभी ग्राम वासियों को कठपुतली शो, फिल्म, आदि के माध्यम से तम्बाकू निषेध पर जागरुक करते हुए तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत की विस्तृत कार्य योजना से अवगत करा उनकी स्वीकृत ली जा सके।

• ग्राम पंचायत में तम्बाकू नियन्त्रण हेतु कोटपा कानून की धारा 4, 5, 6 की नियमित ,कड़ी और निरन्तर पालना स्थापित करना तथा इसकी नियमित कार्यवाही व रिपोर्टिग सुनिश्चित करना।

• ग्राम पंचायत के हर गाँव में तम्बाकू-मुक्त कार्यकर्ता तैयार करना, जो कि स्वेच्छा से एक स्वयंसेवक के रुप में अपने गाँव में तम्बाकू-मुक्त वातावरण को बनाए रखने, इसकी पालना और कार्यवाही पर निगरानी व समर्थन का काम करे।

• ग्राम पंचायत में तम्बाकू नियंत्रण संकल्प को पूरा करने में विशेष सहायता डेस्क बनायें जहाँ तम्बाकू से सम्बन्धित आईईसी, प्रपत्र, जानकारियाँ इत्यादि, इंटरनेट सुविधा के साथ उपलब्ध हों। यहाँ पर ग्राम पंचायत की तम्बाकू नियंत्रण गतिविधियों, चालान कार्यवाही, रिपोर्ट, आदि ,का भी आकलन निरन्तरता से किया जा सकता है।

निम्न लोग इस हेतु सहभागिता कर सकते हैं

- आशा
- सामाजिक कार्यकर्ता
- साथिन
- सभी स्वाथ्यकर्मी , डॉक्टर, नर्स, सहित
- स्थानीय एनजीओ/ नवयुवक मण्डल /
- रिटायर्ड सैनिक/अध्यापक/ अन्य
- विकास अधिकारी
- ग्राम स्तरीय समितियाँ

ग्राम पंचायत स्तर पर स्थाई समितियों में तम्बाकू से होने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभावों पर आवश्यक चर्चा प्रारंभ करें तथा लोगों को तम्बाकू सेवन ना करने के लिए प्रेरित, जागरुक व सचेत करें।

तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत - कोटपा कानून का क्रियान्वयन

धारा 4 - सभी सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक वाहनों और कार्य स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध सार्वजनिक स्थान - वे स्थान जिनका सार्वजनिक उपयोग होता है या जहाँ आम जनता प्रायः जाती है, जैसे पंचायत भवन, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, आंगनवाड़ी, बस स्टैन्ड, रेल्वे स्टेशन, सरकारी व निजी कार्यालय, समुदायक भवन, आदि ।

1. यह प्रबंधक, मालिक या प्रभारी का कर्तव्य है कि:

(अ) वह स्थान को धूम्रपान मुक्त रखें ।

(ब) वह चित्र-1 के निर्देशानुसार बोर्ड सभी प्रवेश द्वार, इमारत के अंदर विशिष्ट स्थानों पर और एक से अधिक मंजिल है तो प्रत्येक मंजिल पर प्रदर्शित करें ।

(स) किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून का उल्लंघन करने के मामले में चित्र 2 के निर्देशानुसार अधिकारी का नाम, पद और मोबाईल नम्बर प्रदर्शित करें जिससे शिकायत करी जा सके।

चित्र-1

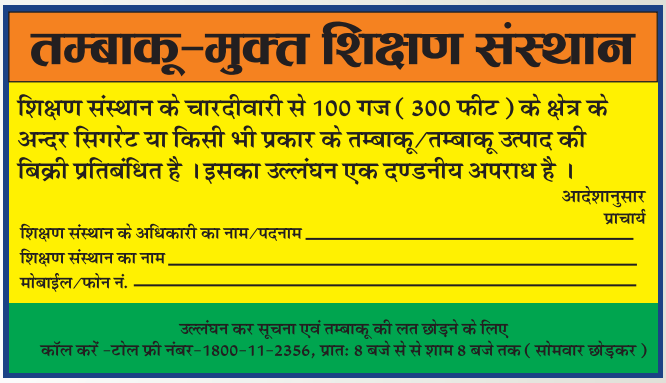

चित्र-2

धारा 5 - किसी भी तंबाकू के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रोत्साहन एवं तम्बाकू कम्पनियों द्वारा किसी गतिविधि का प्रायोजन अथवा आयोजित करना प्रतिबंधित है । ग्राम पंचायत सभी गाँवों में धारा 5 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ।

धारा 6 अ- किसी भी नाबालिक को द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है ।

धारा 6 ब- किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है ।

1. ग्राम पंचायत सुनिश्चित करें सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में उपस्थित दुकानों को हटा दी गई हैं ।
2. सभी शिक्षण संस्थानों में चित्र-2 में निर्देशानुसार बोर्ड को प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य है ।

तम्बाकू-मुक्त ग्राम पंचायत - प्रस्ताव

तम्बाकू-मुक्त पंचायत संकल्प पत्र प्रारुप

ग्राम पंचायत का नाम / लेटर हैड

हमारी ग्राम पंचायत ..... पंचायत समिति .....जिला..... आज दिनांक ..... को ग्राम सभा दिनांक .....के प्रस्ताव संख्या..... के द्वारा तंबाकू-मुक्त ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में निम्न पालनाओं का प्रस्ताव पारित करती है :

1. दैनिक उपभोग की दुकानों पर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी रोक ।
2. सार्वजनिक स्थानों, वाहनों और कार्य स्थलों पर धूम्रपान पर पूरी रोक ।
3. पंचायत के सभी गाँवों में प्रमुख स्थानों पर तम्बाकू-मुक्त गाँव की सूचना पट्टिका को प्रदर्शित करना ।
4. शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण रोक एवं शिक्षण संस्थानों के प्रवेश द्वार पर चेतावनी बोर्ड लगाया जाना ।
5. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अथवा उनके द्वारा तम्बाकू उत्पादों के खरीद व बेचान पर रोका ।
6. नियम की अवहेलना पाए जाने पर पंचायत द्वारा तुरंत और प्रभावी कार्यवाही और दंड प्रक्रिया।
7. ..... (ग्राम पंचायत द्वारा तय अन्य नियम)
8. उपरोक्त निर्देशों की पालना करा ग्राम पंचायत..... को दिनांक ..... को घोषित कर दिया जाना सुनिश्चित किया जाता है ।

हस्ताक्षर मय सील
ग्राम विकास अधिकारी

हस्ताक्षर मय सील
सरपंच

तम्बाकू मुक्त गाँव के लिए क्रमिक मूल्यांकन

गाँव का नाम :
ग्राम पंचायत का नाम :
ब्लॉक :
जिला :
मूल्यांकनकर्ता का नाम, पदनाम व मोबाईल नंबर :

क्र. स.	मापदंड	उत्तर
1.	क्या तम्बाकू मुक्त गाँव एवं ग्राम पंचायत हेतु प्रस्ताव लिया गया हैं ?	हाँ/ नही
2.	क्या तम्बाकू मुक्त गाँव का बोर्ड गाँव में प्रवेश स्थान पर लगा हुआ हैं ?	हाँ/ नही
3.	गाँव के सार्वजनिक स्थानों धारा-4 का बोर्ड लगा हुआ हैं ? सार्वजनिक स्थानों का नाम लिखें- _____ _____ _____	हाँ/ नही
4.	गाँव में तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन किया गया है ।	हाँ/ नही
5.	गाँव में नाबालिगों को अथवा उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचा जा रहा है ।	हाँ/ नही
6.	गाँव के शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जा रहा है ।	हाँ/ नही
7	गाँव में तम्बाकू उत्पादों से उत्पन्न कचरे की उपस्थिति और निष्पदान सही प्रकार से हो रहा है ।	हाँ/ नही

अपने गाँव को

तम्बाकू-मुक्त

बनायें

जनहित में प्रसारित

SRKPS, 1/129, H.B., Jhunjhunu (Raj,)
Ph.: 01592-234664, Mob.: +91-9414080218 | www.srkps.org
Email : srkpsjjn@gmail.com, rajan.choudhary@srkps.org